(131)

राजस्व निगरानी क्र.
प्रस्तुत दिनांक- 31/10/2012

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैंप भोपाल

R-3848-I/12

1. श्रीमति मुन्नीबाई विधवा कैलाशचन्द्र राठौर,
2. मोहित नाबालिक बालक बलि माँ मुन्नीबाई विधवा कैलाशचन्द्र राठौर,

दोनों निवासी- इकलाय नाका रेल्वे गेट के पास, शिवपुर रोड सिवनी मालवा, तहसील- सिवनी मालवा, जिला- होशंगाबाद ---------- आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमति छायाबाई पुत्री कैलाशचन्द्र राठौर, पति- नेमीचंद राठौर, निवासी- सातनेर, तहसील- आठनेर, जिला- बैतूल ---------- अनावेदिका

निगरानी याचिका आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता ।

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी याचिका राजस्व अपील क्रमांक 72अ/6 वर्ष 10-11 ग्राम निपानिया, तहसील- सिवनी मालवा, जिला- होशंगाबाद में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय सिवनी मालवा द्वारा पारित आर्डर दिनांक 6/9/12 से असंतुष्ट होकर नीचे लिखे अनुसार प्रस्तुत है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3848/एक/2012 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-10-2018	आवेदकगण अधिवक्ता श्री डी.एस. गुर्जर उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण की सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। (मनोज गोयल) अध्यक्ष	